

जिसे वनों की कानि में प्रयुक्त है, उसीसे उद्योग व्यवस्था में उचित परिचय उन्हें दिया
की कानि उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त है, उक्त व्यवस्था में।

- 17: वन्यजीव का उपयोग प्रस्ताव में प्रस्तावित प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य
प्रयोजन में नहीं किया जाएगा।
- 18: वन्यजीव को खाना के लिए नहीं खरीदा जाएगा और उद्योग सरकार द्वारा समय-समय
पर कानि वाले वनों को अनुमानित पुनर्विस्था दिया जाएगा।
- 19: उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय के अधिकारी, कर्मचारी, अथवा वैद्यक
जो उनके नियंत्रण में या उनके समर्थन में कार्य कर रहे हों वे वन सन्वयन को
हानि नहीं पहुंचाएंगे और यदि उक्त कार्यकर्ताओं ने वन सन्वयन को हानि
पहुंचाई है तो उन्हें वन सन्वयन प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा निर्धारित
प्रतिफल उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय द्वारा देव होगा।
- 110: उक्त वन्यजीव उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय के उपयोग में लीजें बाधित है और
किसी भी तरीके से उक्त उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय को उक्त
उद्योग व्यवस्था में लीजें बाधित नहीं करेगा। यदि उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय को उक्त
उद्योग व्यवस्था में लीजें बाधित नहीं करेगा तो वह निर्धारित उक्त प्रयुक्त उद्योग
उक्त प्रयुक्त उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय के लिए आवश्यक न
रहे, वन विभाग उद्योग सरकार को विना किसी प्रतिफल या अनुमानित विधि
वास्तु प्राप्त हो सकती।
- 111: वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उक्त उद्योग व्यवस्था में कार्य करने को हिला
समय के अंतराल में, प्रकृत प्रयुक्त वन्यजीव को नुकसान होने का अधिकार
होगा।
- 112: यदि उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय द्वारा निर्धारित प्रयोजन से 19-2630
के वन्यजीव वन विभाग को उपलब्ध करा दी जाती है। उक्त उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त
प्रयुक्त प्रयोजन में प्रयुक्त विज्ञान परिचय, अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा पर वन्यजीव
का प्रयुक्त प्रयोजन/विभागीय विधि निर्धारित करार गुरु का 109 विज्ञान
वास्तु वन्यजीव प्रयुक्त विज्ञान परिचय।
- 113: उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय द्वारा उक्त वनों में अन्य सामान्य वनों को
व्यतिरिक्त वन्यजीव प्रयुक्त विज्ञान परिचय का उपयोग प्रस्ताव दिया जाएगा जिसे
व्यतिरिक्त प्रस्तावित विधि निर्धारित व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय के
विधि निर्धारित प्रयोजन/विभागीय विधि निर्धारित प्रयोजन से 19-2630-वीं सी-
07-3-39 दिनांक 19-0-39 के अनुसार निर्धारित विधि प्रयुक्त विधि
निर्धारित प्रयोजन से 19-2630-वीं सी-07-3-39 दिनांक 19-0-39 के अनुसार निर्धारित विधि प्रयुक्त विधि
-501-नीजमें और वन्यजीव प्रयुक्त विज्ञान परिचय प्रयुक्त विधि
उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय द्वारा प्रयुक्त विज्ञान परिचय के
उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय प्रयुक्त विधि प्रयुक्त विधि के
उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय प्रयुक्त विधि प्रयुक्त विधि के

2- यह प्रस्ताव विज्ञान विभाग में अंतराल से 19-2630-वीं सी-07-3-39 दिनांक-
20-3-99 में प्रस्ताव उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विधि प्रयुक्त विधि के

हस्ताक्षर
सत्यापित
5/11/1999
उद्योग व्यवस्था में प्रयुक्त विज्ञान परिचय प्रयुक्त विधि प्रयुक्त विधि के

30-9-19
Executive Engineer
Electricity Transmission Division II
U.P. Power Transmission Corp. Ltd.
VARANASI

-3-

सं. आ. 322/1/14-2-79, लखनऊ

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सुझाव एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 11) तपस्य, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भाग, तीरतीर्थ
डोका, पी. एम. लोदी रोड, दिल्ली-110003 ।
- 12) सुषमा कान्ति इन्स्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंटल स्टडीज, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तैमिः
कार्यालय, बंगला रोड-1/72, नैतिक 'डी' कॉलोनी, लखनऊ ।
- 13) सहायक सचिव, सं. आ. 322/1/14-2-79 ।
- 14) निष्ठाधिकारी-लखनऊ ।
- 15) प्रभाषीय पर्यावरणिकी केंद्र वन विभाग-लखनऊ ।
- 16) उच्चिष्ठती अभिज्ञता, वि. स. प्र. का. का. 3, दिल्ली-110002 राज्य वि. स.
परि. स. सं. 14/74, सं-2, अन्तर्मुख, वाराणसी केंद्र ।
- 17) वि. स. सं. 14/74, सं-2, अन्तर्मुख, वाराणसी केंद्र ।

आज्ञा
 [Signature]
 उपाध्यक्ष
 उप विभाग

आज्ञा
 सहायक
 331-11-1979
 16-12-79

उपाध्यक्ष
 सहायक
 वि. स. सं. 14/74, सं-2
 अन्तर्मुख, वाराणसी केंद्र

30.9.19

Executive Engineer
 Electricity Transmission Division II
 U.P. Power Transmission Corp. Ltd.